

Court
Pulip
12/7/19

16-7-18

12/7/19
तहसीलदार (पु.व.) पाण्डल
जिला-भीलवाड़ा

आदेश

प्रांथी गोपाल लाल पिता हरि खारोल ग्राम बाकली द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र पर कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा मेरी आराजी के हिस्से पर वर्ष 2014 में बैंक बड़ादा राजस्थान प्रौद्योगिकी ग्रामीण बैंक द्वारा लुहारिया से ऋण लिया जिसका नामांतरण पटवार हल्का-चारकोड द्वारा भूलवश मेरे भाई श्री लाल पिता हरि खारोल के नाम रहन दर्ज कर दिया जिसे सुधार करना आवश्यक हो गया है।

बैंक B.R.U.B. शाखा लुहारिया व पटवार हल्का व भू-अभिलेख चोपरास तथा तहसीलदार पाण्डल द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर श्री लाल पिता हरि खारोल निवासी बाकली के खाते के रहन के बजाय श्री गोपाल लाल पिता श्री हरि खारोल के नाम खाता रहन दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

16/7/19
उपस्थित अधिकारी
पाण्डल जिला भीलवाड़ा